कार्यालय,रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

(हिंदी कक्ष)

सं0 0746/हि0क0/हि0प0/मु0का0 दिनांक: 06 अगस्त, 2013

सेवा में

प्रधान लेखा नियंत्रक(फै0)/
सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक

विष्य: हिंदी दिवस/पखवाड़े के अवसर पर रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

****

रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरुकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता रहा है। गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी सितम्बर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाए। साथ ही 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' समारोह का आयोजन भी किया जाए।

आपसे अनुरोध कि अन्य वर्षो की तरह इस वर्ष भी रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित करने के उद्देश्य से संगठन के सभी कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाए और इसमें भाग लेने के लिए अधिकाधिक कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किए जाने के लिए संबंधित कार्यालयों को उपयुक्त राशि भी स्वीकृत की जाए। हिंदी पखवाड़े के आयोजन के उपरांत आयोजन संबंधी एक रिपोर्ट यथा समय मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित की जाए।

इस संबंध में इस मुख्यालय का दिनांक 13 अगस्त, 2009 का पत्र सं0 0746/हि0क0/रा0भा0/हि0प0 अवलोकनीय है।

कृपया पावती दें ।

(प्रवीण कुमार राय)
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा0)

My computer/E:/Hindi Pakhwara

1
13

सं० 0746/हि०क०/रा०भा०/हि०प०/
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,
पश्चिमी खण्ड 5, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली - 66.
दिनांक 13.08.2009

सेवा में,

सभी प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक

विषय : हिन्दी पखवाड़े का आयोजन : वर्ष 2009

****

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी रुपरेखा के अनुसार प्रत्येक कार्यालय द्वारा हर वर्ष सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़े तथा 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाना होता है । पखवाड़े के दौरान नीचे लिखे कार्यक्रमों के अलावा अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है :-

(i) राजभाषा अधिनियम 1963 : राजभाषा नियम,1976: राजभाषा संकल्प , 1968 तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए राजभाषा नीति संबंधी अनुदशों से कर्मचारियों को परिचित कराना ।

(ii) सरकारी कार्य से संबंधित हिंदी में टिप्पण , आलेखन, टंकण और आशुलिपि के अभ्यास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना ।

(iii) हिंदी में काम करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उच्च पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक में अपील जारी करना । हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग संबंधी निदेशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर भी इस बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है ।

(iv) हिंदी में काम बढ़ाने की दृष्टि से प्रचार सामग्री का वितरण तथा दर्शन ।

(v) हिंदी में प्रकाशित कार्यालयीन विषयों से संबंधित पुस्तकों, शब्दावलियों और पत्रिकाओं आदि की प्रदर्शनी आयोजित करना । इन प्रदर्शनियों में हिंदी में हुए या हो रहे कामकाज के नमूनों जैसे हिंदी में चैकों, ड्राइंगों, नोटिंग, चार्टों आदि का भी प्रदर्शन किया जा सकता है । द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर, वर्ड-प्रोसेसर, कम्प्यूटर आदि के प्रयोग का भी प्रदर्शन किया जा सकता है ।

हिन्दी पखवाड़ा/11/प्रदीप

(vi) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिंदी में आलेखन, टिप्पण, टंकण, आशुलिपि, भाषण, वादविवाद, निबंध, कवितापाठ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करना ।

(vii) हिंदी में सुरुचिपूर्ण अभिनय,नाट्य,गीत आदि कार्यक्रम आयोजित करना ।

(viii) राजभाषा हिंदी से संबंधित आवधिक रिपोर्टों के संबंध में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना ।

(ix) हिंदी में सराहनीय शासकीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार, प्रमाणपत्र आदि प्रदान किया जाना ।

(x) द्विभाषी यांत्रिक/इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टाइपराइटर, वर्ड-प्रोसेसर, कम्प्यूटर आदि के प्रयोग का प्रदर्शन ।

संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में न्यूनतम पुरस्कार राशि 1000/- रुपये होनी चाहिए तथा अधिकतम राशि का निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष अपने विवेकानुसार कर सकते हैं ।

अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाए ।

पुनीत

(पुनीत अग्रवाल)
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन)

हिन्दी पखवाड़ा/13 पटील